

भारतीय संविधान की गतिशील प्रकृति

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

भारत के मुख्य न्यायाधीश, संविधान, नजिता का अधिकार, अनुच्छेद 368, संसद में बहुमत के प्रकार, संसद, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय

मुख्य परीक्षा के लिये:

संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में, संविधान संशोधन, संवैधानिक व्याख्या के संदर्भ में बदलते सामाजिक संदर्भ।

[स्रोत: द हट्टी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\) डी.वाई. चंद्रचूड़](#) ने [संविधान](#) की गतिशील प्रकृति पर बल देते हुए कहा कि कोई भी पीढ़ी इसकी व्याख्या पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती है।

- मुख्य न्यायाधीश ने बदलते सामाजिक, वधिक और आर्थिक संदर्भों के आलोक में संविधान की अनुकूलनशीलता की क्षमता पर बल देते हुए इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिकतावाद के सिद्धांत से की।

संवैधानिक सिद्धांत समाज के अनुरूप क्यों विकसित होने चाहिये?

- संविधान एक जीवंत दस्तावेज है:** मुख्य न्यायाधीश ने "जीवंत संविधान" की अवधारणा पर प्रकाश डाला, जिसका तात्पर्य है कि इसकी व्याख्या बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिये।
 - इससे संवैधानिक न्यायालयों को समय के साथ उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों के लिये न केवल समाधान ढूँढने में सहायता मिलती है बल्कि इससे संविधान की प्रासंगिकता बनी रहती है।
- वभिन्न सामाजिक संदर्भ:** मुख्य न्यायाधीश के अनुसार कोई भी दो पीढ़ियों के लिये संविधान का एक ही सामाजिक, वधिक या आर्थिक संदर्भ नहीं होता है।
 - जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, कुछ नई चुनौतियाँ सामने आती हैं जिनके लिये समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में संविधान की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता होती है, जैसे [व्यभिचार को वैध बनाना](#)।
- मौलिकतावाद के साथ तुलना:** CJI चंद्रचूड़ ने मौलिकतावाद के उदाहरण के रूप में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 [\[1\] \[2\] \[3\] \[4\] \[5\] \[6\] \[7\] \[8\] \[9\] \[10\] \[11\] \[12\] \[13\] \[14\] \[15\] \[16\] \[17\] \[18\] \[19\] \[20\] \[21\] \[22\] \[23\] \[24\] \[25\] \[26\] \[27\] \[28\] \[29\] \[30\] \[31\] \[32\] \[33\] \[34\] \[35\] \[36\] \[37\] \[38\] \[39\] \[40\] \[41\] \[42\] \[43\] \[44\] \[45\] \[46\] \[47\] \[48\] \[49\] \[50\] \[51\] \[52\] \[53\] \[54\] \[55\] \[56\] \[57\] \[58\] \[59\] \[60\] \[61\] \[62\] \[63\] \[64\] \[65\] \[66\] \[67\] \[68\] \[69\] \[70\] \[71\] \[72\] \[73\] \[74\] \[75\] \[76\] \[77\] \[78\] \[79\] \[80\] \[81\] \[82\] \[83\] \[84\] \[85\] \[86\] \[87\] \[88\] \[89\] \[90\] \[91\] \[92\] \[93\] \[94\] \[95\] \[96\] \[97\] \[98\] \[99\] \[100\]](#) फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें अमेरिकी संविधान में स्पष्ट रूप से गर्भपात का उल्लेख न होने के कारण गर्भपात के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था।
 - उन्होंने इसकी तुलना भारत के उभरते दृष्टिकोण से की तथा कहा कि मौलिकतावाद सेनागरिक अधिकारों की कठोर एवं प्रतबंधात्मक व्याख्या को बढ़ावा मिल सकता है।
- अनुकूलन:** CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान की जटिल व्याख्या से संविधान की अनुकूलनशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसका तात्पर्य है कि जटिल एवं कठोर प्रावधानों में समय के साथ बदलाव किया जाए।
 - व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर अत्यधिक निर्भरता से रूढ़िवादी व्याख्याओं को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भावी पीढ़ियों की नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता सीमित हो सकती है।

शासन में संवैधानिक लचीलेपन/अनुकूलन की क्या भूमिका है?

- प्रगतिशील सुधार हेतु समर्थन: संविधान की अनुकूलनशीलता से वर्तमान सामाजिक मांगों के अनुरूप सुधारों (तकनीकी प्रगति से लेकर [डेटा सुरक्षण कानूनों](#) जैसे मानव अधिकारों तक) को बढ़ावा मिलता है।
- वधिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलना: एक जीवंत संविधान से नवीन वधिक व्याख्याओं का मार्ग प्रशस्त होने के साथ [डिजिटल युग में नजिता](#) संबंधी चिंताओं जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान हो सकता है।

- **नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा:** संवधान की गतशील व्याख्या से रूढ़िवादी व्याख्याओं (जिनसे स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है) को चुनौती मिलती है।
- **अनुकूलनशीलता:** अनुकूल संवधानिक सिद्धांत से यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न संस्थाएँ तेज़ी से विकसित हो रहे विश्व में (वर्षों से ज्ञान अर्थव्यवस्था में) प्रसंगिक बनी रहें।
- **नई वास्तविकताओं का समावेशन:** जीवन्त संवधानिक सिद्धांत से न्यायालयों को अपनी व्याख्याओं में नए सामाजिक, आर्थिक तथा वधिक संदर्भों को शामिल करने की प्रेरणा मिलती है।

भारतीय संवधान की प्रकृति क्या है?

- **हाइब्रिड संरचना:** भारतीय संवधान नम्य तथा अनम्य दोनों ही प्रकृति का है। इससे संवधान के मूल ढाँचे में स्थिरता बनाए रखते हुए अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है।
 - **आधारभूत मूल्यों की सुरक्षा:** इसकी अनम्यता की प्रकृति से **मूल अधिकारों एवं बुनियादी ढाँचे** में मनमाने परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
 - **संघवाद का संरक्षण:** यद्यपि संघीय ढाँचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है फिर भी **समवर्ती सूची** जैसी नई वास्तविकताओं के अनुकूलन के क्रम में इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं।
 - **संतुलित कल्याणकारी दृष्टिकोण:** अधिकारों की अनम्यता एवं राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों (DPSP) की नम्यता के संयोजन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक कल्याण के साथ संतुलित करने में सहायता मिलती है।
 - **स्थिरता सुनिश्चित होना:** अनम्यता से जल्दबाजी में होने वाले संशोधनों को रोकने से स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
 - **लोकतंत्र सशक्त होना:** वधियाँ प्रक्रियाओं में अनुकूलन से निरिवाचित प्रतिनिधिसंवधानिक सीमाओं का पालन करते हुए लोगों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया देने हेतु प्रेरित रहते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा मिलता है।
- **संशोधन प्रक्रिया:**
 - **अनुच्छेद 368** में संशोधन के दो मुख्य तरीके बताए गए हैं:
 - **संसद का विशेष बहुमत:** मूल अधिकारों में संशोधन जैसे कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिये **संसद के विशेष बहुमत** की आवश्यकता होती है, जिसके लिये **प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत** के साथ-साथ प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भी आवश्यक होता है।
 - इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रमुख परिवर्तनों को पर्याप्त संसदीय समर्थन प्राप्त हो।
 - **राज्य अनुसमर्थन:** **राष्ट्रपति चुनाव और उसके तरीके** जैसे अन्य प्रावधानों के लिये **संसद के विशेष बहुमत के साथ कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन** आवश्यक होता है।
 - यह प्रक्रिया भारत के संघीय ढाँचे को रेखांकित करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संवधानिक संशोधनों में राज्यों की भागीदारी हो।
 - **साधारण बहुमत से संशोधन:** **नवीन राज्यों के गठन** जैसे कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
 - ये संशोधन **अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं** आते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संवधान के कुछ पहलुओं को अपेक्षाकृत आसानी से बदला जा सकता है।

भारतीय संवधान के लचीलेपन से संबंधित मामले

- **1967:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **अनुच्छेद 368** से केवल संवधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित होती है, जिसमें कहा गया कि **संसदनागरिकों के मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है और सभी संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।**
- **1973:** इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद को संवधान में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन वह इसके **मूल ढाँचे में बदलाव नहीं कर सकती है।**
 - यह मामला इसके लचीलेपन का उदाहरण है क्योंकि इसमें संशोधन की अनुमति दी गई है लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे **मूल सिद्धांत बने रहें।**

नम्य और कठोर संवधान के बीच क्या अंतर है?

पहलू	नम्य संवधान	कठोर संवधान
संशोधन प्रक्रिया	संशोधन प्रक्रिया सामान्य कानून पारित करने की तरह आसान हो सकती है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम के संवधान में देखा जाता है।	संशोधन के लिये एक जटिल, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाता है।
बदलती ज़रूरतों के अनुसार समायोजन क्षमता	इस तरह के संवधान में सामाजिक परिवर्तनों और बदलती परिस्थितियों के साथ आसानी से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसे एक जीवन्त दस्तावेज़ के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक प्रगति के साथ विकसित होता है।	परिवर्तन का विरोध करता है, अनुकूलनशीलता की अपेक्षा स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
जनमत का प्रतिबिंब	बदलती जनमत और सामाजिक उपागम को प्रतिबिंबित करता है।	इसमें संवधान निर्माताओं के विचारों को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है, तथा परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील होने की संभावना है।

पूर्णता की धारणा	यह मान लिया गया है कि कोई भी संविधान पूर्णतया परिपूर्ण नहीं है तथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।	मान लिया गया है कि संविधान सभी परिस्थितियों के लिये एक आदर्श मार्गदर्शक है।
संघीय प्रणालियों में अनुकूलनशीलता	संघीय इकाइयों की विधि आवश्यकताओं को समायोजित करना और सहयोग को बढ़ावा देना।	संघीय प्रणालियों में संतुलन बनाए रखने के लिये स्थिरता और जाँच प्रदान करता है।
अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण	नरिंतर होने वाले परिवर्तन, जो कभी-कभी भीड़तंत्र (जनता द्वारा वरचस्व) से प्रभावित होते हैं, अल्पसंख्यक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।	यह अधिक मज़बूत सुरक्षा प्रदान करता है, तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

नबिकरष:

एक कठोर और नम्य संविधान के बीच संतुलन एक गतशील कानूनी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है जो समकालीन चुनौतियों के लिये प्रासंगिक और उत्तरदायी है। अंततः एक नरिंतर बदलते समाज में न्याय, समानता और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिये संविधानिक के लचीलेपन को अपनाना आवश्यक है।

प्रश्न: भारतीय संविधान में नम्यता और कठोरता के बीच संतुलन तथा समकालीन सामाजिक मुद्दों के नरिकरण में इसके महत्त्व का परीक्षण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संविधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

- लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- संपूर्ण परिभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- संपूर्ण परिभुत्व-संपन्न पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- संपूर्ण परिभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (b)

प्रश्न:

Q. धरमनरिपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्राँस क्या सीख सकता है? (2019)

Q. नजिता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के वसितार का परीक्षण कीजिये। (2017)